संख्या-12/2025/39/60-1-2025

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 27 फरवरी**, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-49 के राजस्व पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् आपके पत्र संख्या-697/निदे0म0क0/लेखा-बजट/पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 22.01.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2235-02-102-04-कन्या सुमंगला की बचत से लेखाशीर्षक-2235-02-001-03-महिला कल्याण निदेशालय के मानक मद-13-टेलीफोन पर व्यय हेतु रू0 2.00 लाख एवं मानक मद-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद हेतु रू0 10.00 लाख तथा लेखाशीर्षक-2235-02-102-13-संस्थानों-गृहों का संचालन के मानक मद/49-चिकित्सा व्यय हेतु रू0 30.00 लाख अर्थात इस प्रकार कुल रू0 42.00 लाख रूपये) (बयालीस लाख मात्र की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति ही निर्गत किया जायेगा।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(5) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235020010300 (महिला कल्याण निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
2	049	2235020010300 महिला कल्याण निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021021300 (संस्थानों/गृहों का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021021300 संस्थानों/गृहों का संचालन	49 चिकित्सा व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
	कुल			30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
महायोग				42,00,000 (रुपये बयालीस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी0एम0-9 प्रपत्र पर आवंटित संख्या-RE-budget-1-439-E-4-223-X-2024-25, दिनाँक 24.02.2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-12/2025/39(1)/60-1-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।